

57 girls at Kanpur shelter Covid+, 5 are pregnant; NHRC orders inquiry

#LUCKNOW

The NHRC has sent notices to the Uttar Pradesh government and the state police chief over reports that 57 minor girls tested positive for Covid-19 at a state-run shelter in Kanpur.

Five of them were pregnant and one was HIV positive. The girls were exhibiting symptoms of Covid-19 for some time but there was "delay" in taking them to the hospital for tests, the National Human Rights Commission said.

Reportedly, the Kanpur district magistrate has said that there were seven pregnant girls living in the home and five of them tested positive for COVID-19.

He has said that these girls were already pregnant when they were brought to the shelter home on the recommendation of the child welfare committees in different districts and investigation under the Protection of Children from Sexual Offences Act is going on in all these cases, the statement said.

PTI

NHRC notice to U.P. after 57 girls infected

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

The National Human Rights Commission on Monday issued notices to the Uttar Pradesh government and the police over media reports of 57 girls at a state-run shelter home in Kanpur testing positive for COVID-19.

The NHRC noted that five of the affected girls were pregnant and one HIV-positive.

Negligence cited

“Reportedly, the girls were exhibiting symptoms of COVID-19 for some time but there was delay in taking them to hospital for tests. The commission has observed that the contents of the media report, if true, are enough to *prima facie* believe that the public servants have failed to provide safeguard to the victim girls and, apparently, were negligent in protecting their right to life, liberty and dignity in the custody of the State,” the NHRC said in a statement.

The NHRC issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, asking for reports, including on the action taken in the matter, within four weeks.

“The State government is expected to order an inquiry into the matter by an independent agency. It is also expected to review the health status of the female inmates lodged in shelter homes across the State and issue suitable directives that such incidents do not recur in future,” the NHRC said.

57 girls at Kanpur shelter Covid+, 5 are pregnant; NHRC orders inquiry

#LUCKNOW

The NHRC has sent notices to the Uttar Pradesh government and the state police chief over reports that 57 minor girls tested positive for Covid-19 at a state-run shelter in Kanpur.

Five of them were pregnant and one was HIV positive. The girls were exhibiting symptoms of Covid-19 for some time but there was "delay" in taking them to the hospital for tests, the National Human Rights Commission said.

Reportedly, the Kanpur district magistrate has said that there were seven pregnant girls living in the home and five of them tested positive for COVID-19.

He has said that these girls were already pregnant when they were brought to the shelter home on the recommendation of the child welfare committees in different districts and investigation under the Protection of Children from Sexual Offences Act is going on in all these cases, the statement said.

PTI

57 girls at UP shelter home test Covid +ve, 5 of them pregnant

Kanpur: Fifty-seven girls at a state-run children's shelter home in Uttar Pradesh's Kanpur district have tested positive for Covid-19, with five of them found to be pregnant, an administration official said on Sunday.

Two other girls in the shelter home, who are also pregnant, have tested negative for the virus, he said.

"The five pregnant girls, who have been found Covid-19 positive, were referred by the Child Welfare Committees of Agra, Etah, Kannauj, Firozabad and Kanpur under the Pocso Act. Two other pregnant girls have tested negative for Covid-19. The seven girls were pregnant at time, when they came to the shelter home," Kanpur DM Brahma Dev Ram Tiwari told reporters.

The district magistrate added that two girls are undergoing treatment at LLR Hospital in Kanpur, while three others are undergoing treatment at private hospital.

In a Facebook post, Congress leader Priyanka Gandhi Vadra had attacked the BJP government in Uttar Pradesh over the media reports about the girls being found pregnant at the shelter home. "The en-

NHRC notice to UP govt for 'failing to safeguard' minors

The National Human Rights Commission on Monday served notices on the UP government and the UP police chief over reports of 57 minor girls testing positive for Covid-19 at a state-run shelter home in Kanpur. This even as the National Commission for Protection of Child Rights (NCP-CR) sought details of the matter from the UP State Commission for Protection of Child Rights. It also issued a notice to UP DGP and chief secretary seeking details of medical assistance and counselling given, and police action taken along with the status of investigation. **TNN**

tire story of the Muzaffarpur shelter home case is in front of the country. Such a case had also come to light in Deoria in UP," Priyanka Gandhi said.

In this scenario, such an incident again coming out shows that everything is suppressed in the name of investigations, but very inhuman incidents are taking place in government child protection homes, she said. **AGENCIES**

कानपुर के स्वरूपनगर स्थित राजकीय संवासिनी गृह में 171 में से 57 संवासिनियां कोरोना बालगृह में 6 गर्भवती संवासिनियां 18 साल

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

खुलासा

कानपुर के स्वरूपनगर स्थित राजकीय बालगृह (बालिका) में सात संवासिनियों के गर्भवती होने का मामला तूल पकड़ गया है। प्रशासन की ओर से की गई जांच में चौकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां रह रही 171 में से सात गर्भवती और 57 कोरोना संक्रमित निकली हैं। अहम बात है कि इनमें से एक को छोड़कर बाकी की उम्र 18 साल से कम है। एसपी पश्चिम के मुताबिक गर्भवती सात किशोरियों में से पांच को घर वालों ने टुकरा दिया था तो दो ने घर जाने से ही इनकार कर दिया था, ऐसे में सभी को बालिका गृह भेज दिया गया था। पूरे मामले की रिपोर्ट मीडिया के साथ प्रशासन को भी भेज दी गई है।

किशोरियों को प्रेग्नेंसी का पता था: प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक बालिका गृह लाने से पहले सभी गर्भवती थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां दाखिल करने से पहले पुलिस ने इनका मेडिकल कराया था। रिपोर्ट में ये गर्भवती थीं। यह भी दावा किया गया कि किशोरियों को भी प्रेग्नेंसी का पता था। पुलिस अब इस तथ्य का पता लगा रही है कि बालिका गृह लाए जाने के पहले से किशोरियां कितने माह के गर्भ से थीं। रिकॉर्ड रूम से मेडिकल रिपोर्ट

- मेडिकल रिपोर्ट में सातों के पहले से ही गर्भवती होने का किया दावा
- शासन को भेजी गई रिपोर्ट, पांच ने घर वालों को टुकराया

तलब की गई है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब संवासिनी गृह में कोरोना पॉजिटिव की संख्या तेजी से बढ़ी। एक के संक्रमित मिलने के बाद जब सभी के सैंपल लिए गए तो 57 संवासिनियां वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुकी थीं। सात गर्भवती में पांच पॉजिटिव तो दो की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आठ माह की गर्भवती दो किशोरियों को हैलट तो तीन को रामा कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यहां आने से पहले हो गई गर्भवती: जिला प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार ने कहा कि सातों पहले से गर्भवती थीं। यह जानकारी थी और उनकी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। इसे अधिकारियों को सौंप दिया गया है। एसपी पश्चिम अनिल कुमार ने बताया कि दो किशोरियों के बारे में यह तय हो चुका है कि वह दाखिल होने से पहले गर्भवती थीं। बाकी पांच की प्रोबेशन अधिकारी से मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई है। एसपी ने बताया कि संवासिनी गृह को सील कर दिया गया है।

पांच ने कोर्ट में कहा था, घर नहीं जाना चाहते

पुलिस के मुताबिक पांच गर्भवती किशोरियां ऐसी थीं जो अपने पुरुष मित्र के साथ ही रहना चाहती हैं। उन्होंने कोर्ट में परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया तो बालिका गृह भेज दिया गया। दो मामलों में परिजनों ने अदालत के सामने कह दिया था कि उनका बेटियों से कोई वास्ता नहीं है। इस कारण उन्हें संवासिनी गृह भेजना पड़ा।

पाक्सो एक्ट में दर्ज हैं मामले

सातों गर्भवती संवासिनियों के मामले में बहला-फुसलाकर भगा ले जाना, रेप, छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज है। उसके बाद उन्हें कोर्ट या बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने प्रस्तुत किया गया। वहां से राजकीय बालिका गृह भेजा गया। एसपी के मुताबिक पांच मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी, जबकि दो की विवेचना चल रही है।

18 साल पूरा होने पर कहीं भी जा सकती हैं

जिला प्रोबेशन अधिकारी के मुताबिक बालगृह बालिका में 171 किशोरियां और महिला गृह में 59 महिलाएं रह रही हैं। जब किशोरियां 18 साल की पूरी हो जाती हैं तो उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। इस दौरान वह बताती हैं कि कहां और किसके पास जाना चाहती हैं। तब कोर्ट के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में उन्हें गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है।

मुजफ्फरपुर कांड की पुनरावृत्ति : भाकपा

लखनऊ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव और उनमें से 7 को गर्भवती मिलने की निन्दा की है। भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा है कि यह मुजफ्फरपुर संवासिनी गृह कांड की पुनरावृत्ति है।

प्रदेश की बालिका गृहों की जांच हो : राजभर

लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विधायक ओमप्रकाश राजभर ने ट्वीट कर कह रहे हैं कि 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' की बात करने वालों की सरकार में राजकीय बालिका गृह तक की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश की बालिका गृहों की जांच हो।

एनएचआरसी ने और डीजीपी को

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कानपुर के राजकीय बालिका संरक्षण गृह से संबंधित मामले पर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। दोनों से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है।

आयोग ने बालिका संरक्षण गृह में रहने वाली 57 नाबालिग लड़कियों के कोरोना (कोविड-19) पॉजिटिव और उनमें से 5 लड़कियों के गर्भवती और एक के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस सूचना को भी गंभीरता

प्रियंका ने घटना की तुलना मुजफ्फरपुर से की

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानपुर की घटना की तुलना मुजफ्फरपुर घटना से की है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि देवरिया से भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है।

एनएचआरसी ने मुख्य सचिव से चार हफ्ते में मांगा जवाब

राब्यू, लखनऊ : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कानपुर स्थित संवासिनी गृह में 57 किशोरियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। एनएचआर ने मुख्य सचिव को नोटिस देकर चार सप्ताह में पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने भी जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

सामाजिक संस्थाओं में सीमित होगी आवाजाही : मुख्य सचिव आरके तिवारी ने मामले में निर्देश जारी किए हैं कि महिला संरक्षण गृह, नारी निकेतन, अनाथालय और बाल सुधार गृह जैसी सामाजिक संस्थाओं में कोरोना संक्रमण से बचाव की विशेष सावधानी रखी जाए। आवाजाही सीमित और पूरी जांच के बाद ही होनी चाहिए। सामाजिक संस्थाओं में कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष सावधानियां बरतने की हिदायत दी है।

कानपुर संवासिनी गृह मामले में एनएचआरसी ने दिया नोटिस

लखनऊ। कानपुर स्थित संवासिनी गृह में 57 नाबालिग लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को नोटिस देकर चार हफ्ते में मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने नोटिस में कहा कि इनमें से पांच लड़कियां गर्भवती हैं, जबकि एक एचआईवी पॉजिटिव है। इनको कोरोना होने की पुष्टि पहले हो चुकी थी पर अस्पताल ले जाने में अनावश्यक देरी की गयी। आयोग ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला मानते हुए नोटिस दिया है। आयोग ने इस बाबत डीजीपी को भी नोटिस देकर इस मामले में दर्ज एफआईआर और विवेचना की प्रगति के बारे में रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने नोटिस में इस मामले को लेकर कानपुर के डीएम और एसएसपी के बयानों का जिक्र भी किया है।

NHRC NOTICE TO UP CS, DGP OVER SHELTER HOME ISSUE

LUCKNOW : The National Human Rights (NHRC) on Monday issued notices to the chief secretary and DGP, Uttar Pradesh over reports of 57 minor girls who were found COVID positive while five of them were pregnant and one was found HIV positive at a state run shelter

home in Kanpur.

In a press statement the spokesperson of the NHRC said, the Commission took suo moto cognizance of media reports on the issue and have issued notices to chief secretary RK Tiwari and DGP Hitesh Chandra Awasthi.

»PAGE 2

NHRC notices to CS, DGP over Kanpur shelter home is

HT Correspondent

■ letters@htlive.com

LUCKNOW: The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notices to the chief secretary and DGP, Uttar Pradesh over reports of 57 girls being found Covid positive -- five of them being pregnant and one of them HIV positive -- at a state run shelter home in Kanpur.

In a press statement, spokes-

person of NHRC said the commission has taken suo moto cognizance of media reports on the issue and have issued notices to chief secretary RK Tiwari and DGP Hitesh Chandra Awasthi.

The girls were exhibiting symptoms of Covid-19 for some time but allegedly there was delay in taking them to hospital for the tests. The commission has observed that the contents of the media report, if true, were

enough to prima facie believe that the public servants had failed to provide safeguard to the victim girls, the administrative officers were apparently negligent in protecting the girls' right to life, liberty and dignity in the custody of the State, the spokesperson said.

The UP chief secretary has been told to submit a detailed report in the matter, including health status of all the girls, their medical treatment and counsel-

ling provided to the girls by the authorities. The state government is expected to order an inquiry into the matter from an independent agency. It is also expected to review the health status of the female inmates lodged in shelter homes across the state and issue suitable directives that such incidents do not happen in future, the spokesperson said.

A separate notice has also been issued to the state's DGP calling

for a report regarding registration of FIR in this matter. The chief secretary and DGP are expected to submit reports within two weeks, he said.

District magistrate Dr Brahma Deo Ram said that there were 57 shelter home girls living in the shelter home and five of them were found Covid-19 positive. Two of them were pregnant when brought to the shelter home. The recommendation of the welfare committees in districts. Investigation under Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) is going on in all these cases.

The SSP, Kanpur has said that two of the girls had died in Agra and Kannauj in 2019.

All the girls found Covid positive are being treated at Kanpur Medical College. The shelter home has been sealed and staff quarantined, the spokesperson said.

57 MINOR GIRLS FOUND COVID +VE, 5 OF THEM PREGNANT, 1 HIV+

Kanpur shelter home: NHRC orders probe, issues notices to Uttar Pradesh Chief Secy, DGP

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: After disturbing reports emerged from Uttar Pradesh's Kanpur about 57 girls in a shelter home testing positive for COVID-19 with five of them pregnant and one positive for HIV, the National Human Rights Commission of India (NHRC) took suo motu cognizance of the incident and ordered a thorough investigation in the matter.

The NHRC said the reports have enough information that, if proven to be true, shows that "public servants had failed to provide safeguard to the victim girls and, apparently, were negligent in protecting their right to life, liberty and dignity in the custody of the State".

While it is learnt that the first case of Coronavirus in the shelter home was detected on June 15, the building was not sealed until June 19. In those



REPRESENTATIVE IMAGE

four days, 49 other occupants of the shelter home had tested positive.

Significantly, multiple reports have revealed that the home was meant to have a maximum occupancy of 100 girls and was, in fact, housing 171 girls when the cases came to light. As of now, a total of 57 girls from the home and one employee are positive for the contagious disease.

However, in a more shocking revelation, it was found that at least seven girls housed at the shelter home were pregnant, of which five were among the

COVID-19 cases detected.

The NHRC has now issued notices to the Uttar Pradesh Chief Secretary and the Director-General of Police in the state, ordering the former to initiate an independent inquiry in the matter and the latter to register an FIR in the case and submit a report on the status of the investigation. The human rights body has asked both the police and the Chief Secretary to submit an action taken report in four weeks.

The rights body has directed the state government to submit detailed reports on the health status of all the girls, their medical treatment and counselling provided to them by the authorities in addition to making sure that suitable directions are ensured to prevent such an incident from happening again.

On Sunday, Kanpur DM Brahma Dev Ram Tiwari told

reporters: "The five pregnant girls, who have been found Covid-positive, were referred by the Child Welfare Committees of Agra, Etah, Kannauj, Firozabad and Kanpur under the POCSO Act. Two other pregnant girls have tested negative for COVID-19. The seven girls were pregnant at the time when they came to the shelter home."

Meanwhile, former UP Chief Minister and Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav in a tweet said: "Outrage has spread in UP due to the news of the Child Protection Home in Kanpur. There has been disclosure of some minor girls getting pregnant. Of these, 57 have been found to be affected by Corona and one with AIDS, they should be treated immediately. The government should immediately conduct an inquiry against those responsible."

संवासिनी गृह में संक्रमण पर मानवाधिकार

मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर मुख्य सचिव से चार सप्ताह में तलब की रिपोर्ट, राज्य महिला आयोग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कानपुर स्थित संवासिनी गृह में 57 किशोरियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। एनएचआर ने मुख्य सचिव को नोटिस देकर चार सप्ताह में पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। राज्य महिला आयोग ने भी इस पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित पाई गई किशोरियों में पांच लड़कियां गर्भवती हैं जबकि एक एचआईवी पॉजिटिव है। इनको कोरोना होने की पुष्टि पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने में अनावश्यक देरी की गई। आयोग ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला माना है। साथ ही इसे लेकर डीजीपी को भी नोटिस देकर प्रकरण में दर्ज एफआईआर और विवेचना की प्रगति रिपोर्ट चार सप्ताह में तलब की है। एचएनआरसी ने मामले में राज्य सरकार से किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की अपेक्षा भी की है।

अखिलेश ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के राजकीय संरक्षण गृह से आई खबर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किशोरियों का तत्काल समुचित इलाज हो। साथ ही सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तुरंत जांच कर सरकार कार्रवाई करे।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने भी इस प्रकरण में जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने पूछा है कि संरक्षण गृह में कोरोना संक्रमण न फैले इसकी क्या व्यवस्था की गई थी। अध्यक्ष ने जिलाधिकारी से फोन पर भी बात की। बाथम ने पूछा है कि गर्भवती किशोरियों के इलाज के लिए क्या किया जा रहा है? उन्होंने रायबरेली में नाबालिग से रेप के बाद गर्भवती होने के मामले और अमेटी में शौच के लिए निकली लड़की का अपहरण होने की खबर का संज्ञान लेते हुए इन घटनाओं की रिपोर्ट मांगी है।

स्वजन संग न जाने पर लाई गई थीं गर्भवती किशोरियां

जासं, कानपुर : राजकीय संवासिनी गृह की गर्भवती किशोरियों को लेकर लखनऊ तक हंगामा मचा है। सबका एक ही सवाल है कि आखिर वह गर्भवती कैसे हो गईं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड़ा ने भी बयान देकर इसे तुल दे दिया चूंकि अधिनियम की बाध्यता के चलते किशोरियों की पहचान गोपनीय रखनी है फिर भी उनके संबंध में कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। दरअसल ये किशोरियां भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की भुक्तभोगी पीड़िताएं हैं। स्वजन संग जाने से इन्कार पर इन्हें यहां लाया गया था। इनमें दो कानपुर जबकि पांच दूसरे जिलों की हैं।

गायनकोलॉजिस्ट करती हैं जांच, एचआईवी-हेपेटाइटिस: जिला प्रोबेशन अधिकारी अजीत कुमार बताते हैं कि गर्भवती किशोरियों की जांच के लिए सप्ताह में दो बार गायनकोलॉजिस्ट आती हैं। उनकी सलाह पर जांच के



संवासिनी गृह के बाहर तैनात सिपाही • जागरण आर्काइव

लिए कई बार अस्पताल भी भेजा जाता है। कोरोना संक्रमण के दौरान उनके एचआईवी और हेपेटाइटिस की पीड़ित होने की रिपोर्ट से वह भी हैरान हैं। उनकी यह जांच पहले ही होनी चाहिए थी।

घर नहीं जाती तो बालिग होने तक रोकना पड़ता है बालिकागृह में : अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित बताते हैं कि जब किशोर-किशोरियां प्रेम प्रसंग में घर

से भागकर प्रेम विवाह जैसे क उठाते हैं तो यह अपराध की श्रेणी आ जाता है। ऐसी स्थिति में किशोरों की तहरीर पर पुलिस मुकदमा लिखकर किशोर या युवती को जेल भेज देती है चूंकि किशोर स्वजन संग जाने से मना कर रहे हैं तो उन्हें बालिका गृह भेजा जाता है और बालिग होने तक वहां रहती हैं।

एनएचआरसी ने मुख्य सचिव व डीजीपी को नोटिस दिया

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बालिका संरक्षण गृह से संबंधित मामले पर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। दोनों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। आयोग ने बालिका संरक्षण गृह में रहने वाली 57 नाबालिग लड़कियों के संक्रमित व उनमें से 5 लड़कियों के गर्भवती पाए जाने के इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस सूचना को भी गंभीरता से लिया है कि आश्रय गृह में रहने वाली लड़कियों में कुछ दिनों से कोविड-19 के लक्षण दिखाई दे रहे थे लेकिन उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाने में देरी हुई। आयोग के अनुसार यदि मीडिया की रिपोर्ट्स सही हैं तो प्रथम दृष्टया यह माना जा सकता है कि अधिकारी पीड़ित लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं।



सपा महिला सभा की नगर अध्यक्ष ने जांच के लिए डीएम को संबोधित ज्ञापन सौंपा।

संगठनों ने जांच कराने के लिए दिया मांग पत्र

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने कमिश्नर, डीएम और एसएसपी को जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया। समाजसेवी नूतन ठाकुर ने भी जांच की मांग की। जनवादी महिला समिति की अध्यक्ष नीलम तिवारी, उपाध्यक्ष सुभाषिनी अली ने बताया कि अधिकारियों को जांच के लिए पत्र दिया गया है।

“कानपुर की घटना मुजफ्फरपुर जैसी है। जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है। प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव (टिवटर पर किया कमेंट)

एनएचआरसी ने भी कोरोना इन्फेक्शन पर थमाया नोटिस

मुख्य सचिव से मामले में चार सप्ताह में तलाब की रिपोर्ट

राज्य महिला आयोग ने भी मांगी जिलाधिकारी से रिपोर्ट

NEW DELHI (22 June) : नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने (एनएचआरसी) ने कानपुर स्थित राजकीय संवासिनी गृह में 57 किशोरियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को नोटिस देकर चार सप्ताह में पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. वहीं राज्य महिला आयोग ने भी इस पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है.

मानवाधिकार उल्लंघन

एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित पाई गई किशोरियों में पांच लड़कियां गर्भवती हैं जबकि एक एचआईवी पॉजिटिव है. इनको कोरोना होने की पुष्टि पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल ले जाने में देरी की गई. आयोग ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला माना है.

डीजीपी को दिया नोटिस

साथ ही इसे लेकर डीजीपी को भी नोटिस देकर प्रकरण में दर्ज एफआईआर और विवेचना की प्रगति रिपोर्ट चार सप्ताह में तलब की है. एनएचआरसी ने मामले में राज्य सरकार से किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाए जाने की अपेक्षा भी की है. वहीं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने भी इस प्रकरण में

कानपुर के सरकारी बाल संरक्षण गृह से आई खबर से यूपी में आक्रोश फैल गया है.

नवालिग लड़कियों के गर्भवती होने का गंभीर खुलासा हुआ है. इनमें 57

कोरोना से और एक एड्स से भी ग्रसित है, इनका तत्काल सही से इलाज हो. वहीं सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तुरंत जांच बेटाए और कार्रवाई करे.

अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा



मुजफ्फरपुर (बिहार) के बालिका गृह का पूरा किस्सा देश के सामने है.

यूपी में भी देवरिया से ऐसा मामला सामने आ चुका है. ऐसे में अब कानपुर

में इस तरह की घटना सामने आना दिखाता है कि जांचों के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं हो रही हैं.

प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस



विपक्ष के हमले से गर्माई सियासत

स्वरूप नगर स्थित बालिका संरक्षण व राजकीय बालिका गृह की 7 संवासिनियों के प्रेग्नेट होने और 57 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब इसका राजनीतिकरण भी शुरू हो गया है. विपक्षी नेताओं ने अपने बयानों से मामले को और गर्मा दिया है. मंडे को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मामले को शर्मनाक बताते हुए जांच की मांग की है. वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी यादव ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं. सपा विधायक अमिताभ बाजपेई ने गवर्नर को संबोधित ज्ञापन भेजकर मामले में जांच कराने की बात कही है. वहीं जिला प्रशासन लगातार सब कुछ ठीक होने के दावे कर रहा है.

राज्य महिला आयोग ने डीएम से मांगी है रिपोर्ट

जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. उन्होंने पूछा है कि संरक्षण गृह में कोरोना संक्रमण न फैले इसकी क्या व्यवस्था की गई थी ?

एनएचआरसी के समक्ष रखा युवाओं की मौत का मुद्दा

जम्मू। सिद्दड़ा में संस्कार के दौरान सदिग्ध परिस्थितियों में दो युवाओं की मौत मामले को पीड़ित परिवारों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाया है। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेटी जांच नाकाफी है, इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

**दाह संस्कार
करने गए
दो युवकों
की मौत
का मामला**

उधर, नेशनल कान्फ्रेंस ने सरकार से जांच पूरी न होने तक घटना में शामिल अधिकारियों को निलंबित करने की मांग की है।

प्रांतीय उपप्रधान अनिल धर और सेल के प्रधान एमके योगी ने कहा कि लापरवाही के कारण दो लोगों की जान चली गई। नेकां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जांच करवा सच्चाई सामने लाने की मांग करती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासन की नीतियों पर कई सवाल उठाए गए हैं। दोनों व्यक्तियों को समय पर उचित चिकित्सा के साथ अन्य जीवनरक्षक प्रणाली की मदद नहीं दी गई, जिससे दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शिष्टमंडल में राकेश सिंह राक्का, बाल कृष्ण भट्ट, टीके कौल, अमित कौल आदि शामिल रहे। ब्यूरो

कानपुर संवासिनी गृह मामले में एनएचआरसी ने दिया नोटिस

लखनऊ। कानपुर स्थित संवासिनी गृह में 57 नाबालिग लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के मामले का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को नोटिस देकर चार हफ्ते में मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने नोटिस में कहा कि इनमें से पांच लड़कियां गर्भवती हैं, जबकि एक एचआईवी पॉजिटिव है। इनको कोरोना होने की पुष्टि पहले हो चुकी थी पर अस्पताल ले जाने में अनावश्यक देरी की गयी। आयोग ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला मानते हुए नोटिस दिया है। आयोग ने इस बाबत डीजीपी को भी नोटिस देकर इस मामले में दर्ज एफआईआर और विवेचना की प्रगति के बारे में रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने नोटिस में इस मामले को लेकर कानपुर के डीएम और एसएसपी के बयानों का जिक्र भी किया है।

कानपुर के स्वरूपनगर स्थित राजकीय संवासिनी गृह में कुल 171 में से अब तक 57 संवासिनियां निकल बालगृह में 6 गर्भवती संवासिनियां 18 साल

कानपुर | वरिष्ठ संवाददाता

खुलासा

कानपुर के स्वरूपनगर स्थित राजकीय बालगृह (बालिका) में सात संवासिनियों के गर्भवती होने का मामला तूल पकड़ गया है। प्रशासन की ओर से की गई जांच में चौकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां रह रही 171 में से सात गर्भवती और 57 कोरोना संक्रमित निकली हैं। अहम बात है कि इनमें से एक को छोड़कर बाकी की उम्र 18 साल से कम है। एसपी पश्चिम के मुताबिक गर्भवती सात किशोरियों में से पांच को घर वालों ने ठुकरा दिया था तो दो ने घर जाने से ही इनकार कर दिया था, ऐसे में सभी को बालिका गृह भेज दिया गया था। पूरे मामले की रिपोर्ट मीडिया के साथ शासन को भी भेज दी गई है।

किशोरियों को प्रेग्नेंसी का पता था: प्रशासन के रिकॉर्ड के मुताबिक बालिका गृह लाने से पहले सभी गर्भवती थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां दाखिल कराने से पहले पुलिस ने इनका मेडिकल कराया था। रिपोर्ट में ये गर्भवती थीं। यह भी दावा किया गया कि किशोरियों को भी प्रेग्नेंसी का पता था। पुलिस अब इस तथ्य का पता लगा रही है कि बालिका गृह लाए जाने के पहले से किशोरियां कितने माह के गर्भ से थीं। रिकॉर्ड रूम से मेडिकल रिपोर्ट

- मेडिकल रिपोर्ट में सातों के पहले से ही प्रेग्नेंट होने का किया दावा
- शासन को भेजी गई रिपोर्ट, पांच ने घरवालों को ठुकराया

तलब की गई है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब संवासिनी गृह में कोरोना पॉजिटिव की संख्या तेजी से बढ़ी। एक के संक्रमित मिलने के बाद जब सभी के सैपल लिए गए तो 57 संवासिनियां वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुकी थीं। सात गर्भवती में पांच पॉजिटिव तो दो की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आठ माह की गर्भवती दो किशोरियों को हैलट तो तीन को रामा कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

यहां आने से पहले हो गई गर्भवती: जिला प्रोबेशन अधिकारी अजित कुमार ने कहा कि सातों पहले से गर्भवती थीं। यह जानकारी थी और उनकी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। इसे अधिकारियों को सौंप दिया गया है। एसपी पश्चिम अनिल कुमार ने बताया कि दो किशोरियों के बारे में यह तय हो चुका है कि वह दाखिल होने से पहले गर्भवती थीं। बाकी पांच की प्रोबेशन अधिकारी से मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई है। एसपी ने बताया कि संवासिनी गृह को सील कर दिया गया है।

पांच ने कोर्ट में कहा था, घर नहीं जाना चाहतीं

पुलिस के मुताबिक पांच गर्भवती किशोरियां ऐसी थीं जो अपने पुरुष मित्र के साथ ही रहना चाहती हैं। उन्होंने कोर्ट में परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया तो बालिका गृह भेज दिया गया। दो मामलों में परिजनों ने अदालत के सामने कह दिया था कि उनका बेटियों से कोई वास्ता नहीं है। इस कारण उन्हें संवासिनी गृह भेजना पड़ा।

पॉक्सो एक्ट में दर्ज हैं मामले

सातों गर्भवती संवासिनियों के मामले में बहला-फुसलाकर भगा ले जाना, रेप, छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज है। उसके बाद उन्हें कोर्ट या बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने प्रस्तुत किया गया। वहां से राजकीय बालिका गृह भेजा गया। एसपी के मुताबिक पांच मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी, जबकि दो की विवेचना चल रही है।

18 साल पूरा होने पर कहीं भी जा सकती हैं

जिला प्रोबेशन अधिकारी के मुताबिक बालगृह बालिका में 171 किशोरियां और महिला गृह में 59 महिलाएं रह रही हैं। जब किशोरियां 18 साल की पूरी हो जाती हैं तो उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। इस दौरान वह बताती हैं कि कहां और किसके पास जाना चाहती हैं। तब कोर्ट के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में उन्हें गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता है।

मुजफ्फरपुर कांड की

पुनरावृत्ति : भाकपा

लखनऊ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कानपुर के राजकीय बालिका गृह में 57 लड़कियों के कोरोना पॉजिटिव और उनमें से 7 को गर्भवती मिलने की निन्दा की है। भाकपा राज्य सचिव डा. गिरीश ने कहा है कि यह मुजफ्फरपुर संवासिनी गृह कांड की पुनरावृत्ति है।

प्रदेश की बालिका गृहों की

जांच हो : राजभर

लखनऊ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विधायक ओमप्रकाश राजभर ने ट्वीट कर कह रहे हैं कि 'बेटी पढ़ाओ' की बात करने वालों की सरकार में राजकीय बालिका गृह तक की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश की बालिका गृहों की जांच हो।

एनएचआरसी ने और डीजीपी को

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कानपुर के राजकीय बालिका संरक्षण गृह से संबंधित मामले पर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। दोनों से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है।

आयोग ने बालिका संरक्षण गृह में रहने वाली 57 नाबालिग लड़कियों के कोरोना (कोविड-19) पॉजिटिव और उनमें से 5 लड़कियों के गर्भवती और एक के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस सूचना को भी गंभीरता

प्रियंका ने घटना की तुलना

मुजफ्फरपुर से की

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानपुर की घटना की तुलना मुजफ्फरपुर घटना से की है। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि देवरिया से भी ऐसा मामला सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है।

57 MINOR GIRLS FOUND COVID POSITIVE, 5 OF THEM PREGNANT, 1 HIV-

Kanpur shelter home: NHRC orders, issues notices to Uttar Pradesh Chief Secretary

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: After disturbing reports emerged from Uttar Pradesh's Kanpur about 57 girls in a shelter home testing positive for COVID-19 with five of them pregnant and one positive for HIV, the National Human Rights Commission of India (NHRC) took suo motu cognizance of the incident and ordered a thorough investigation in the matter.

The NHRC said the reports have enough information that, if proven to be true, shows that "public servants had failed to provide safeguard to the victim girls and, apparently, were negligent in protecting their right to life, liberty and dignity in the custody of the State".

While it is learnt that the first case of Coronavirus in the shelter



home was detected on June 15, the building was not sealed until June 19. In those four days, 49 other occupants of the shelter home had tested positive.

Significantly, multiple reports have revealed that the home was meant to have a maximum occupancy of 100 girls and was, in fact, housing 171 girls when the cases came to light. As of now, a total of

57 girls from the home and one employee are positive for the contagious disease.

However, in a more shocking revelation, it was found that at least seven girls housed at the shelter home were pregnant, of which five were among the COVID-19 cases detected.

The NHRC has now issued notices to the Uttar Pradesh Chief

Secretary and the Director-General of Police in the state, ordering the former to initiate an independent inquiry in the matter and the latter to register an FIR in the case and submit a report on the status of the investigation. The human rights body has asked both the police and the Chief Secretary to submit an action taken report in four weeks.

The rights body has directed the state government to submit detailed reports on the health status of all the girls, their medical treatment and counselling provided to them by the authorities in addition to making sure that suitable directions are ensured to prevent such an incident from happening again.

On Sunday, Kanpur DM Brahma Dev Ram Tiwari told reporters: "The five pregnant girls,

कानपुर के संवासिनी गृह को एनएचआरसी का नोटिस

राष्ट्र लखनऊ : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कानपुर स्थित राजकीय संवासिनी गृह में 57 किशोरियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को नोटिस देकर चार सप्ताह में पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। राज्य महिला आयोग ने भी इस पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है। आयोग ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला माना है। साथ ही इसे लेकर डीजीपी को भी नोटिस देकर प्रकरण में दर्ज एफआइआर और विवेचना की प्रगति रिपोर्ट चार सप्ताह में तलब की है। एनएचआरसी ने मामले में राज्य सरकार से किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की अपेक्षा भी की है।

कानपुर के संवासिनी गृह में कोरोना संक्रमण पर एनएचआरसी का नोटिस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कानपुर स्थित राजकीय संवासिनी गृह में 57 किशोरियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को नोटिस देकर चार सप्ताह में पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। राज्य महिला आयोग ने भी इस पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित पाई गई किशोरियों में पांच लड़कियां गर्भवती हैं जबकि एक एचआइवी पॉजिटिव है। इनको कोरोना होने की पुष्टि पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने में देरी की गई। आयोग ने इसे

मुख्य सचिव से चार सप्ताह में तलब की रिपोर्ट

राज्य महिला आयोग ने भी मांगी जिलाधिकारी से रिपोर्ट

कोरोना संक्रमित पाई गई किशोरियों में पांच गर्भवती, एक एचआइवी पॉजिटिव

मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला माना है। साथ ही इसे लेकर डीजीपी को भी नोटिस देकर प्रकरण में दर्ज एफआइआर और विवेचना की प्रगति रिपोर्ट चार सप्ताह में तलब की है। इसके अलावा एचएनआरसी ने मामले में राज्य सरकार से किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की अपेक्षा भी की है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने भी इस प्रकरण में जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट

तलब की है। उन्होंने पूछा है कि संरक्षण गृह में कोरोना संक्रमण न फैले इसकी क्या व्यवस्था की गई थी। अध्यक्ष ने जिलाधिकारी से फोन पर भी बात की। बाथम ने पूछा है कि गर्भवती किशोरियों के इलाज के लिए क्या किया जा रहा है? उन्होंने रायबरेली में नाबालिग से दुराचार के बाद उसके गर्भवती होने के मामले और अमेठी में शौच के लिए निकली लड़की का अपहरण होने की खबर का संज्ञान लेते हुए इन घटनाओं की रिपोर्ट मांगी है।

अखिलेश ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के राजकीय संवासिनी गृह से आई खबर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किशोरियों का तत्काल समुचित इलाज हो। साथ ही सरकार शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ तुरंत जांच कर कार्रवाई करे।

57 GIRLS COVID-19 POSITIVE, OF WHICH 7 ALSO FOUND TO BE PREGNANT

NHRC Notice to UP Govt on Covid, Pregnancy in Kanpur Shelter

Our Political Bureau

Lucknow: The National Human Rights Commission sent notices to the Uttar Pradesh government and police chief over reports of 57 girls reporting Covid-19 positive in a women's shelter home in Kanpur, seven out of which have been found to be pregnant.

The commission said the "contents of the media report, if true, are enough to

prima facie believe that the public servants have failed to provide safeguard to the victim girls and apparently were negligent in protecting their right to life, liberty and dignity in the custody of the state". Earlier on Monday, the UP State Commission for Women wrote to the Kanpur district magistrate, seeking information on the seven girls found pregnant at the shelter.

The state government has been conducting random tests at centres such as

RAPE, POSCO CASES: GOVT



Five girls had been brought through CWC under the Pocso Act and were already pregnant

old age homes and childcare centres.

In the letter addressed to the Kanpur district magistrate on Monday, the vice president of the UP State Commission for Women Sushma Singh sought details such as the date when the girls were brought to the facility, their medical reports and sections under which the girls had been brought, within 24 hours.

Singh told ET that girls involved in rape cases are brought to the centre on the directions of the courts hearing the

cases under the Protection of Children from Sexual Offences (Pocso) Act as well as through the authority of the Child Welfare Commission.

On Sunday night, Kanpur DM BDR Tiwari had told media persons that the five girls had been brought from Agra, Kannauj, Etah and Firozabad through the CWC under the Pocso Act and had been pregnant from before and that the remaining two were staying in Kanpur who had also been pregnant.

NHRC notice to U.P. after 57 girls infected

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

The National Human Rights Commission on Monday issued notices to the Uttar Pradesh government and the police over media reports of 57 girls at a state-run shelter home in Kanpur testing positive for COVID-19.

The NHRC noted that five of the affected girls were pregnant and one HIV-positive.

Negligence cited

“Reportedly, the girls were exhibiting symptoms of COVID-19 for some time but there was delay in taking them to hospital for tests. The commission has observed that the contents of the media report, if true, are enough to *prima facie* believe that the public servants have failed to provide safeguard to the victim girls and, apparently, were negligent in protecting their right to life, liberty and dignity in the custody of the State,” the NHRC said in a statement.

The NHRC issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, asking for reports, including on the action taken in the matter, within four weeks.

“The State government is expected to order an inquiry into the matter by an independent agency. It is also expected to review the health status of the female inmates lodged in shelter homes across the State and issue suitable directives that such incidents do not recur in future,” the NHRC said.

58 girls test +ve at UP care home, NHRC sends notices

New Delhi, June 22: The NHRC has sent notices to the Uttar Pradesh government and the state police chief over reports that 57 minor girls tested positive for Covid-19 at a state-run shelter home in Kanpur, officials said on Monday.

Five of them were pregnant and one HIV positive. The Kanpur district administration on Sunday had clarified that the girls were pregnant at the time they came to the shelter home.

The girls were exhibiting symptoms of Covid-19 for some time but there was "delay" in taking them to the hospital for tests, the National Human Rights Commission said quoting reports.

"The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of media reports that 57 minor girls tested positive for the coronavirus at a state-run children's shelter home in Kanpur district of Uttar

Video of Latur school having classes goes viral, probe on

Latur, June 22: The district administration in Latur in Maharashtra on Monday ordered a probe after a video went viral on social media showing a school conducting standard X classes despite a shutdown in force for the coronavirus outbreak.

The school is reportedly

located in Udgir, a hotspot in the district with 95 Covid-19 cases, including four deaths due to the infection.

"The school seen in the video will be probed and action will be taken accordingly" Latur collector G. Sreekanth said.

— PTI

Pradesh," the NHRC said in a statement.

The commission has observed that the "contents of the media report, if true, are enough to prima facie believe that the public servants have failed to provide safeguard to the victim girls and apparently were negligent in protecting their right to life, liberty and dignity in the custody of the state".

Accordingly, it has issued a notice to the UP chief secretary, seeking a detailed report, including their health status, medical treatment and counselling, it said.

A notice has also been issued to the Uttar Pradesh director general of police for a report regarding the registration of an FIR in this matter and the status of investigation.

— PTI

NHRC notice to UP govt in shelter case

The National Human Rights Commission on Monday served notices on the Uttar Pradesh government and the UP police chief over reports of 57 minor girls testing positive for the novel coronavirus at a state-run shelter home in Kanpur. Taking suo motu cognisance of media reports, the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) sought details of the matter from the UP State Commission for Protection of Child Rights. Accordingly, it issued a notice to UP DGP and chief secretary seeking details of medical assistance and counselling given, and police action taken along with the status of investigation. **TNN**

57 inmates at Kanpur shelter home test +ve

7 girls found pregnant; NHRC sends notices to UP government, DGP

NAMITA BAJPAI @ Lucknow

A government-run shelter home for destitute women and girls in Kanpur city has emerged as a Covid hotspot with 57 girls testing positive since June 17, prompting the apex human rights panel to send notices to UP officials.

There are seven pregnant inmates at the shelter home of which five have tested coronavirus positive while one has tested positive for HIV and another for Hepatitis C.

The National Commission for Human Rights (NHRC) sent notices to the state government and police, taking suo motu cognisance of the reports. It has issued a notice to the UP chief secretary, seeking a detailed report, including their health status, medical treatment and counselling. The Commission has also asked the UP DGP for a report regarding the registra-

'No male visitors possible'

Uttar Pradesh Women's Commission member Poonam Kapoor claimed that she was a regular visitor to the shelter home and there was no question of any male visiting the shelter home.

tion of an FIR and the status of investigation.

Meanwhile, clearing the air over the 'suspicious' pregnancy of the inmates, officials claimed that all the seven minor inmates were pregnant at the time of their admission to the shelter home. District probation officer Ajit Kumar released a list of the inmates with their details including date of admission, medical tests and status of their legal cases. Of

the seven pregnant minors, two each are from Agra, Etah and Kanpur City while one is from Kannauj. All of them were admitted to the shelter home between November 2019 and June 2020.

Two girls with coronavirus are 8 months pregnant and are admitted to Covid maternity facility, Kumar said.

According to Kanpur district magistrate Brahmadeo Ram Tiwari, 33 inmates tested positive on June 17 and 24 more found infected since then. All of them were sent to Covid hospital for treatment, he said adding that the facility was sealed and sanitization was on.

A woman at the shelter home was found Covid positive in random testing following which tests were ramped up and 57 inmates were found to be infected. As per health authorities, she might be the source of infection.

NHRC notice to U.P. after 57 girls infected

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

The National Human Rights Commission on Monday issued notices to the Uttar Pradesh government and the police over media reports of 57 girls at a state-run shelter home in Kanpur testing positive for COVID-19.

The NHRC noted that five of the affected girls were pregnant and one HIV-positive.

Negligence cited

“Reportedly, the girls were exhibiting symptoms of COVID-19 for some time but there was delay in taking them to hospital for tests. The commission has observed that the contents of the media report, if true, are enough to *prima facie* believe that the public servants have failed to provide safeguard to the victim girls and, apparently, were negligent in protecting their right to life, liberty and dignity in the custody of the State,” the NHRC said in a statement.

The NHRC issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police, asking for reports, including on the action taken in the matter, within four weeks.

“The State government is expected to order an inquiry into the matter by an independent agency. It is also expected to review the health status of the female inmates lodged in shelter homes across the State and issue suitable directives that such incidents do not recur in future,” the NHRC said.

NHRC Sends Notices to UP Govt on Covid, Pregnancies in Kanpur Shelter

State has been conducting targeted random tests at centres which house many people

Our Political Bureau

Lucknow: The National Human Rights Commission sent notices to the Uttar Pradesh government and police chief over reports of 57 girls reporting Covid-19 positive in a women's shelter home in Kanpur, seven out of which have been found to be pregnant.

The commission said the "contents of the media report, if true, are enough to prima facie believe that the public servants have failed to provide safeguard to the victim girls and apparently were negligent in protecting their right to life, liberty and dignity in the custody of the state". Earlier on Monday, the Uttar Pradesh State Commission for Women wrote to the Kanpur district magistrate, seeking information on

RAPE, POSCO CASES: GOVT

Five girls had been brought through CWC under the Pocso Act and were already pregnant

the seven girls found pregnant at a shelter home for women during a random Covid-19 test conducted by the government across childcare centres in the state.

The state government has been conducting targeted random tests at centres which house large numbers of people in closed spaces such as old age homes and childcare centres. During this exercise, tests conducted at a shelter home for females in Kanpur revealed 57 individuals who

had been found positive, out of which five were pregnant. Two other girls were also found pregnant, even as they tested negative, triggering a row.

In the letter addressed to the Kanpur district magistrate on Monday, the vice president of the UP State Commission for Women Sushma Singh sought details such as the date when the girls were brought to the facility, their medical reports at the time of their admission and sections under which the girls had been brought, within 24 hours.

Singh told ET that girls involved in rape cases are brought to the centre on the directions of the courts hearing the cases under the Protection of Children from Sexual Offences (Pocso) Act as well as through the authority of the Child Welfare Commission, and no males

are allowed to enter the quarters of the girls. She also said the girls brought under such circumstances are often found to be pregnant and the details are being sought for further transparency on the matter, as all girls have to undergo a mandatory medical check-up when they are brought in.

On Sunday night, the district magistrate of Kanpur, Brahma Deo Ram Tiwari, had told media persons that the five girls had been brought from Agra, Kannauj, Etah and Firozabad through the CWC under the Pocso Act and had been pregnant from before and that the remaining two were staying in Kanpur who had also been pregnant.

The Samajwadi Party called for a high-level investigation into the matter, suggesting cruelty against minor girls.

57 girls at Kanpur shelter Covid+, 5 are pregnant; NHRC orders inquiry

#LUCKNOW

The NHRC has sent notices to the Uttar Pradesh government and the state police chief over reports that 57 minor girls tested positive for Covid-19 at a state-run shelter in Kanpur.

Five of them were pregnant and one was HIV positive. The girls were exhibiting symptoms of Covid-19 for some time but there was "delay" in taking them to the hospital for tests, the National Human Rights Commission said.

Reportedly, the Kanpur district magistrate has said that there were seven pregnant girls living in the home and five of them tested positive for COVID-19.

He has said that these girls were already pregnant when they were brought to the shelter home on the recommendation of the child welfare committees in different districts and investigation under the Protection of Children from Sexual Offences Act is going on in all these cases, the statement said.

PTI

कानपुर के संवासिनी गृह को एनएचआरसी का नोटिस

रायू, लखनऊ: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कानपुर स्थित संवासिनी गृह में 57 किशोरियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। एनएचआर ने मुख्य सचिव को नोटिस देकर चार सप्ताह में पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। राज्य महिला आयोग ने भी इस पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित पाई गई किशोरियों में पांच लड़कियां गर्भवती हैं जबकि एक एचआईवी पॉजिटिव है। इनको कोरोना होने की पुष्टि पहले हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने में अनावश्यक देरी की गई। आयोग ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला माना है। साथ ही इसे लेकर डीजीपी को भी नोटिस

- मुख्य सचिव से चार सप्ताह में तलब की रिपोर्ट, राज्य महिला आयोग ने भी मांगी जिलाधिकारी से रिपोर्ट

स्वजन संग न जाने पर बालिका गृह लाई गई थीं किशोरियां

जासं, कानपुर: राजकीय बालिका संरक्षण गृह की गर्भवती किशोरियों को लेकर लखनऊ तक हंगामा मचा है। सबका एक ही सवाल है कि आखिर वे गर्भवती कैसे हो गईं। प्रशासन ने किशोरियों की पहचान को गोपनीय रखते हुए कई जानकारियां साझा की हैं। किशोरियां भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की भुक्तभोगी पीड़िताएं हैं। स्वजन संग जाने से इन्कार पर इन्हें यहां लाया गया था।

देकर प्रकरण में दर्ज एफआईआर और विवेचना की प्रगति रिपोर्ट चार सप्ताह में तलब की है।